न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

महिला जलेब कुंवर पुत्री स्व0 गोपालसिंह, पत्नि जितेन्द्र सिंह ठाकुर, निबासी ग्राम तखा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ म0प्र0

निगरानी 4342/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

.................आवेदिका

वनाम

छोटेराजा उर्फ धर्मपाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह ठाकुर, निबासी ग्राम तखा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.....................अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदिका यह निगरानी **न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर, द्वारा प्र0क0 485/अ–6/2016–17 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 08/05/2018** से परिवेदित होकर कर रही है, जो समय सीमा में है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, उभयपक्षों के के पिता गोपाल सिंह के नाम से ग्राम तखा में बिभिन्न खसरा नंबरों की भूमि, भूमिस्वामी हक में राजव अभिलेख में दर्ज थी। आवेदिका एवं अनावेदक आपस में सगे भाई हैं। आवेदिका की शादी होने के कारण वह अपनी ससुराल में निबास कर रही है।

3– यह कि पिता गोपाल सिंह के नाम से ग्राम तखा में स्थित भूमि के बंटवारा वावद एक आवेदनपत्र गोपाल सिंह के हस्ताक्षर कराकर अनावेदक द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने पर, उनके द्वारा उनके नाम की भूमि पर आवेदिका द्वारा अपना नाम ग्राम तखा की नामांतरण पंजी क्रमांक 09 दिनांक 08/06/2008 के द्वारा दर्ज करवा लिया। जिसकी जानकारी ना तो गोपालसिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4342/2018/टीकमगढ़/भू.रा. जलेव कुंवर विरूद्ध छोटे राजा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र पटेरिया को ग्राह्यता पर दिनांक 14-09-2018 को सुना गया । 3. यह निगरानी आवेदक जलेव कुंवर के द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपीलीय प्रकरण क्रमांक 485/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 67/ए/2016-17 आदेश दिनांक 24-01-2017 के विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी । 4. आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर एवं अपर आयुक्त सागर के आदेश दिनांक 08-05-2018 एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24-01-2017 का अध्ययन एवं मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पंहुचा कि अधीनस्थ दोनों नयायालयों द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील 8 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई है । अपर आयुक्त का आदेश स्वयं बोलता हुआ (Self Speaking) है । 5. उपरोक्त परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश यथावत रखे जाते है । निगरानी आवेदन निरस्त किया जाता है । आवेदक अभिभाषक को नोट कराया जाये । 24.09.2018 (आर.के. जैन) सदस्य	